दिनांक 13.06.2014 दिन शुक्रवार को संध्या 08.00 बजे अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में आपूर्त्ति, पेंशन वितरण एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

–: कार्यवाही :–

सर्वप्रथम ***उपस्थिति*** की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में आशुलिपिक की अनुपस्थिति के संबंध में पुछने पर विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आशुलिपिक के मोबाईल पर सूचना देने हेतु कई बार कॉल किया गया, परन्तु उनके द्वारा मोबाईल रिसिव नहीं किया गया और बाद में मोबाईल स्वीच ऑफ पाया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आशुलिपिक से स्पष्टीकरण करने हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

I. आपूर्त्ति :–

(i) सर्वप्रथम राशन कार्ड वितरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि कुल 111 EB में राशन कार्ड वितरण नहीं किया जा सका है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्राप्त दावा आपत्तियों को आम सभा आयोजित कराकर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। राशन कार्ड वितरण की समीक्षा के दौरान कोचाधामन प्रखंड में वितरण का प्रतिशत मात्र 39.12% पाया गया। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा बताया गया कि संबंधित प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी की सेवा निवृत्ति एवं लोक सभा आम निर्वाचन तथा कोचाधामन विधान सभा उप निर्वाचन, 2014 के कारण कोचाधामन प्रखंड में राशन कार्ड वितरण सही ढ़ंग से नहीं हो पाया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह पुछने पर कि जब शत–प्रतिशत राशन कार्ड का वितरण नहीं हुआ है, तो खाद्यान्न का वितरण शत–प्रतिशत कैसे प्रतिवेदित किया जाता है? इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि जहाँ राशन कार्ड वितरण नहीं हुआ है, वहाँ युनिट पंजी के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.06.2014 तक शत–प्रतिशत राशन कार्ड वितरण कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, यह भी निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत राशन कार्ड वितरण हो गया है तथा कोई भी डुप्लीकेट परिवार अवशेष नहीं है, एतद् विषयक प्रमाण पत्र संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी देना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज)

(ii) विमर्श के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को जिलान्तर्गत कार्यरत् डीलरों की सूची एवं डीलर के आस–पास के सदस्यों/निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यों की सूची मोबाईल संख्या सहित एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज)

(iii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा सख्त निदेश दिया गया कि खाद्यान्न/किरासन तेल के वितरण में अनियमितता लगातार प्रतिवेदित होने पर डीलर के साथ-साथ संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की संलिप्तता मानी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

(iv) अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उठाव किये गये खाद्यान्न का वितरण 14/15 तारीख तक तथा द्वितीय/तृतीय सप्ताह में उठाव किये गये खाद्यान्न का वितरण 27/28 तारीख तक संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की उपस्थिति में निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक माह के 27 तारीख के बाद खाद्यान्न का उठाव नहीं हो, इसे अनुमंडल पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, एस.एफ.सी./संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हर-हाल में सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, वितरण कार्य में पारदर्शिता एवं लाभुकों की जानकारी हेतु वितरण से संबंधित कार्यक्रम सरकारी भवन में दिवाल लेखन तथा दर मात्रा से संबंधित सूचना प्रेस को भी देना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज)

(v) खाद्यान्न उठाव की समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज को एक सप्ताह के अंदर EPDS SMS पद्धति अंतर्गत पूरी तरह से लागू करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही, प्रत्येक दिन खाद्यान्न उठाव का विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उसी दिन प्राप्त हो इसे भी सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया, किसी भी परिस्थिति में प्रतिवेदन अगले कार्य दिवस को प्राप्त न हो, अगला कार्य दिवस होने पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम स्वयं प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करेंगे।

(अनुपालन :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज)

(vi) समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को सभी प्रखंड कार्यालय/सभी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय/सभी पंचायत भवन/सभी ज.वि.प्र.विक्रेता के दुकान/सभी किरासन तेल डीपो पर किरासन/खाद्यान्न दर तालिका लगाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन :- अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

(vii) खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा Zero Tolerance एवं 100% Delivery की नीति अपनाने हेतु सभी संबंधितों को निदेशित किया गया।

(viii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर शत-प्रतिशत डीलरों को आवंटित खाद्यान्न/किरासन तेल का भौतिक सत्यापन करने निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

(ix) वर्ष 2013-14 में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के दौरान जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि अधिप्राप्ति धान को मिलिंग हेतु टैग किए गए मिलरों को दिया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी

द्वारा निदेश दिया गया कि 30 जून, 2014 तक अधिप्राप्ति धान को मिलरों को देकर 31 अगस्त, 2014 तक शत-प्रतिशत सी.एम.आर. प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज)

(x) सहायक गोदाम प्रबंधक सी.एम.आर. द्वारा बताया गया कि अभी तक 102 लॉट अर्थात् (102X270 क्वीं. = 27540 क्वीं.) सी.एम.आर. प्राप्त हो चुका है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि सभी मिलरों के साथ बैठक कर सी.एम.आर. प्राप्त करने की गति में तेजी लायें।

(अनुपालन :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज)

(xi) वरीय उप समाहर्ता (अधिप्राप्ति) को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह प्राप्त सी.एम.आर. का भौतिक सत्यापन कर टी.पी.डी.एस. के तहत् निर्गमन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– वरीय उप समाहर्त्ता, अधिप्राप्ति, किशनगंज)

(xii) समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्तमान में केवल चार प्रखंडों यथा किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज तथा पोठिया में पी.डी.एस. गोदाम कार्यरत् है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को 30 जून, 2014 तक सभी प्रखंडों में पी.डी.एस. गोदाम को प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज)

(xiii) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि कोचाधामन प्रखंड में गोदाम का फर्श जर्जर होने के कारण पी.डी.एस. गोदाम प्रारंभ करने में असुविधा हो रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कोचाधामन–सह–ग्रामीण विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर गोदम की मरम्मति कराकर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।

(अनुपालन :– अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज/प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोचाधामन)

(xiv) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को यह निदेश दिया गया कि आपस में समन्वय कर अप्रैल तथा मई माह का खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम से 20 जून, 2014 तक कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम/अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज)

(xv) समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012–13 में राज्य खाद्य निगम का मिलरों के पास लगभग 21 करोड़ रूपये सी.एम.आर. का बकाया है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि विगत् वर्ष 31 दिसम्बर, 2013 तक सी.एम.आर. भारतीय खाद्य निगम को हस्तगत् कराने की तिथि निर्धारित थी, किन्तु मिलरों द्वारा उक्त अवधि तक सी.एम.आर. नहीं जमा कराया गया। राज्य खाद्य निगम मुख्यालय, पटना द्वारा मई, 2014 में निदेश दिया गया कि बकाया सी.एम.आर. रखने वाले मिलरों से सी.एम.आर. के बदले राशि निगम के खाते में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। मई,

2014 में ही सभी बकाया सी.एम.आर. रखने वाले मिलरों को नोटिस दिया गया है, किन्तु अपेक्षाकृत मिलरों द्वारा राशि जमा नहीं कराया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि राशि जमा नहीं करवाने वाले मिलरों पर अविलम्ब निलाम पत्र वाद दायर करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज की जाय। साथ ही, सम्पूर्ण मामले की जाँच आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना तथा निगरानी विभाग से कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से सरकार को अनुशंसा भेजने का निदेश भी दिया गया।

(अनुपालन :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, किशनगंज)

2. **पेंशन :–** अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत पेंशन वितरण कार्यों की समीक्षा की गई।

(i) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह जून, 2013 तक पेंशन वितरण किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खेद व्यक्त किया गया कि एक वर्ष पूर्व का पेंशन का शत–प्रतिशत वितरण नहीं हुआ है, जबकि पेंशन का शत–प्रतिशत वितरण की मूल जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज की है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजने के कारण सरकार से आवंटन की मांग नहीं की जा सकी है, फलतः ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। विमर्शोपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया गया कि जिला मुख्यालय में कैम्प कर दो दिनों के अंदर उपयोगित प्रमाण पत्र तैयार कर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को काफी गंभीरता से लिया जायेगा।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

(ii) अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया गया कि राशि कम पड़ने पर किसी एक पंचायत को चिह्नित कर शत–प्रतिशत पेंशन राशि का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आधा–अधूरा पंचायत में वितरण कार्य नहीं करायेंगे।

(अनुपालन :– अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

(iii) मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत पेंशन वितरण की समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि दो प्रखंडों में चेक वितरण का कार्य किया जा रहा है। स्थिति निम्नवत् पाया गया :–

क्र.	प्रखंड का नाम	उपलब्ध राशि (राशि लाख में)	स्वीकृत अभिलेख	चेक वितरण की स्थिति
1.	किशनगंज	32.00	640	333
2.	कोचाधामन	31.85	637	--
3.	पोठिया प्रखंड	44.00	880	539
4.	बहादुरगंज प्रखंड	32.00	640	--
5.	ठाकुरगंज प्रखंड	42.50	850	--
6.	दिघलबैंक प्रखंड	30.375	600	--
7.	टेढ़ागाछ प्रखंड	21.00	420	---

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया कि प्रखंडों में प्रत्येक सप्ताह दो दिन कैम्प आयोजित कर प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में चेक वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसकी सूचना मीडिया को भी दी जाय ताकि इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार हो सके।

(अनुपालन :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, किशनगंज जिला)

(iv) पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में स्थिति निम्नवत् पाया गया :–

क्र.	**प्रखंड का नाम**	स्वीकृत अभिलेख	चेक वितरण की स्थिति
1.	किशनगंज	62	30
2.	कोचाधामन	103	28
3.	पोठिया प्रखंड	93	--
4.	बहादुरगंज प्रखंड	97	--
5.	ठाकुरगंज प्रखंड	92	--
6.	दिघलबैंक प्रखंड	96	--
7.	टेढ़ागाछ प्रखंड	94	---

पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत स्वीकृति के विरूद्ध Cheque वितरण प्रखंड मुख्यालय में कैम्प आयोजित कर वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। नए स्वीकृति का Cheque अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज निर्गत करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को यह भी निदेश दिया कि पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत पंचायतवार लाभुकों की सूची प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों एवं अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज)

3. **पंचायत सरकार भवन :–**

(i) समीक्षा के क्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 21 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें से 9 (नौ) पंचायत भवनों का कार्य पूर्ण हो गया है और दो में भू–विवाद के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है, शेष में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

(ii) अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि कई पंचायत भवनों के निर्माण में अनियमित्ता संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है, जिस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया गया कि वे कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, किशनगंज के साथ सभी

भवनों के निर्माण में की जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेगें।

(अनुपालन :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, किशनगंज)

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./–
(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 532 /सी., किशनगंज, दिनांक 16 .06.2014.

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी, समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।